150

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2012 निगरानी R-157-II/2012

1— कमलेश कुमार
2— रामकुमार
3— अरविन्द कुमार पुत्रगण वंशगोपाल
निवासी कस्बा मिहोना वार्ड—5 तहसील
मिहोना, जिला— भिण्ड— आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती शिप्रा देवी पुत्री प्रेमनारायण
पत्नी विजयकुमार मुडोलिया
निवासी वाड—5 सुभाषनगर मिहोना,
तहसील— मिहोना, जिला—भिण्ड—अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा प्र0क0 77/2010—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—12—2011 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा—50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है:—

1— यह कि, अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध अनियमित अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2— यह कि, अपर आयुक्त ने दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के एकमत से दिये गये आदेशों को निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है.

3— यह कि, आवेदकगण क भाई एवं अनावेदक के पिता स्व0 प्रेमनारायण ने अनावेदक की सहमति से आवेदक के हित में अपनी कुछ भूमि को तथा शेष भूमि अनावेदक को प्राप्त होगी ऐसा वसियतनामा सम्पादित कर उसे पंजीयत कराया था.आवेदकगण का वसियतनामा प्रमाणित किया गया है.

4— यह कि नामान्तरण की कार्यवाही के पूर्व अनावेदक ने वसियत को स्वीकार करते हूए शपथपत्र भी दिया था.अनावेदक की स्वीकारोक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है. अपर

R-157-II/12

(2)

25-07-17

उभय पक्ष के बीच माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 लहार जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रचलित व्यवहार वाद कमांक 129/2010 में हुये राजीनामे के आधार पर पारित आदेश दि. 7–7–13 की की छायाप्रति प्रस्तुत कर निगरानी प्रकरण के निराकरण की मांग रखी। अनावेदक अनुपस्थित है।

2/ निगरानी मेमो एंव प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 77/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–11 के परिप्रेक्ष्य में मामला तहसील न्यायालय में पुर्नसुनवाई में विचाराधीन है। तद्नुसार पक्षकार व्यवहार वाद कमांक 129/2010 में हुये राजीनामे के आधार पर पारित आदेश दिनांक 7–7–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही करायें। विचाराधीन निगरानी अप्रचलनशील हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य

[कृ. प. उ.